

7. आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करे। ई-मित्र हेल्पलाइन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 एवं ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाइन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें।
8. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
9. समस्त सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट [rsmssb.rajasthan.gov.in](http://rsmssb.rajasthan.gov.in) एवं [rssb.rajasthan.gov.in](http://rssb.rajasthan.gov.in) के माध्यम से प्रकाशित/सूचित की जायेगी। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहें।

**2. एकबारीय पंजीयन शुल्क:-** कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एकबारीय पंजीयन प्रणाली (One Time Registration) ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाईन जमा करावें।

- (क) सामान्य वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु –रूपय 600/-
- (ख) राजस्थान के नॉन कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु – रूपये 400/-
- (ग) समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु – रूपये 400/-
- नोट:-

1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।
2. पूर्व में एकबारीय पंजीयन शुल्क (OTR) जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दुबारा शुल्क देय नहीं है।

**3. संगणक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है:-**

**(क) गैर-अनुसूचित क्षेत्र**

| कुल पद | सामान्य |               |       |            | अनुसूचित जाति |               |       |            | अनुसूचित जनजाति |               |       |            | अन्य पिछड़ा वर्ग |               |       |            | अति पिछड़ा वर्ग |               |       |            | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |               |       |            | बारां जिले की सहरिया जनजाति |               |       |            |
|--------|---------|---------------|-------|------------|---------------|---------------|-------|------------|-----------------|---------------|-------|------------|------------------|---------------|-------|------------|-----------------|---------------|-------|------------|--------------------------|---------------|-------|------------|-----------------------------|---------------|-------|------------|
|        | सामान्य | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य       | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य         | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य          | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य         | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य                  | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य                     | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता |
| 512    | 129     | 37            | 15    | 3          | 57            | 17            | 6     | 1          | 43              | 12            | 5     | 1          | 75               | 22            | 8     | 2          | 18              | 5             | 2     | —          | 36                       | 10            | 4     | 1          | 3                           | —             | —     | —          |

नोट:- बारां जिले की सहरिया आदिम जाति हेतु 01 पद बैकलॉग का है जो ऊपर वर्णित पदों में शामिल है।

| क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION) |    |       |                             |                             |                |    |    |     |     |     |                  |
|-----------------------------------------|----|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----|----|-----|-----|-----|------------------|
| विशेष योग्यजन                           |    |       |                             | विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारी | भूतपूर्व सैनिक |    |    |     |     |     | उत्कृष्ट खिलाड़ी |
| B/LV                                    | HI | LD/CP | I.D./MI/S.L.D. & AUTISM, MD |                             | GEN            | SC | ST | OBC | MBC | EWS |                  |
| 6                                       | 6  | 5     | 7                           | 64                          | 25             | 10 | 07 | 13  | 03  | 06  | 10               |

नोट:- गैर अनुसूचित क्षेत्र में विशेष योग्यजन श्रेणी में HI का 01 एवं MI/MD के 2 पद बैकलॉग के है, जो ऊपर वर्णित पदों में शामिल है।

**(ख) अनुसूचित क्षेत्र**

| कुल पद | सामान्य |               |       |            | अनुसूचित जाति |               |       |            | अनुसूचित जनजाति |               |       |            |
|--------|---------|---------------|-------|------------|---------------|---------------|-------|------------|-----------------|---------------|-------|------------|
|        | सामान्य | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य       | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य         | सामान्य महिला | विधवा | परित्यक्ता |
| 71     | 21      | 07            | 02    | —          | 02            | —             | —     | —          | 26              | 10            | 03    | —          |

नोट:- अनुसूचित क्षेत्र के पदों में अनुसूचित जनजाति के 14 पद बैकलॉग के है, जो ऊपर वर्णित पदों में शामिल है।